उत्पात | अब तक सात मवेशियों की मौत, सातवीं बार तोड़ा आशियाना, दहशत में जी रहे ग्रामीण

हाथी का तांडव जारी, बछिया को उतारा मौत के घाट

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हाथियो ने तांडव मचा रखा हैं। रविवार-सोमवार की रात्रि एक बार फिर एक पालतू पशु को अपना शिकार बनाया हैं। अब तक 7 मवेशियों को मौत के घाट उतार चुका हैं, वहीं 7वीं बार एक ही घर में तोडफोड़ कर पूरी तरह नष्ट कर दिया हैं।

इस घटना को लेकर गत दिनों नवनियुक्त अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर समस्या से अवगत करा निदान कराने का निवेदन कर चुके हैं। ग्रामीण हाथी के भय में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया हैं कि जिला प्रशासन एवं जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन राज्यमंत्री को जिले की जनता की चिंता नहीं हैं।

टाइगर रिजर्व के कर्मचारी रिश्तेदारी निभा रहे

ग्रमीणों ने बताया कि हाथी के निगरानी के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को लगाया गया, जो शासकीय वाहन का दुरुपयोग कर रिश्तेदारी निभा रहे हैं, वहीं तीन हाथियों का समूह विगत तीन दिनों से धनगवां बीट के जंगल में समय बिता रहे हैं। जानकारी अनुसार एक अकेला दंतैल नर हाथी एक माह के लगभग समय से छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर अनूपपुर जिले में डेरा डाले हुए है।

रिश्तेदार के यहां रहने मजबूर ग्रामीण

ज्ञात हो कि हाथी ने एक माह में सात बार घर में तोड़फोड़ करने से गांव में अन्य स्थान पर घर नहीं होने से मोहन सिंह अपनी मां एवं तीन बच्चों के साथ खांडा गांव में एक रिश्तेदार के यहां रहने को बाध्य है। हाथी को भगाए जाने पर चिघाड़ते हुए दौड़ कर हमला करने का प्रयास करता है। तीन दिन पूर्व यह हाथी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित सोनमौहरी एवं सेंदुरी गांव में छह पालतू मवेशियों पर हमला कर मार चुका है।

आरोप- प्रभारी मंत्री ने संकट की घड़ी में अकेला छोड़ दिया

अमगवां के गणेश सिंह आर्मी, सोनमौहरी के रामसहाय सिंह, खांड़ा के कृष्ण कुमार साहू, मोहन सिंह, बोधन सिंह के घरों में तोड़फोड़ कर नुकसान किया। ग्रामीणों ने जिले के प्रभारी मंत्री पर आरोप लगाया कि इस संकट की घडी में हमे अकेला छोड दिया गया हैं। अब तक शासन की ओर से किसी भी तरह का सार्थक निर्णय नही लिए जाने से ग्रामीण भय की स्थिति में जीने को बाध्य हैं।

एक हाथी छत्तीसगढ़ वापस चला गया

तीन हाथियों का समूह विगत तीन दिनों से जैतहरी इलाके के धनगवां के आमापानी के आसपास जंगल में दिन एवं रात के समय ठहरकर समय व्यतीत कर रहे हैं। एक बड़ा हाथी विगत रात अनूपपुर जिले जैतहरी से छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही की सीमा में वापस चला गया है।

दो झोपड़ियों को भी तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया

रात में हाथी ने जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूरी स्थित ग्राम पंचायत खाड़ा में बोधन सिंह के खेत में चर रही बछिया को दौड़ा कर हमला कर मार दिया। एक माह में कई बार बोधन के खेत में लगी कटहल एवं बांस के पेड़ों को तोड़फोड़ कर खाते हुए दो झोपड़ियो को भी तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया। पड़ोस के मोहन सिंह उर्फ ललऊ के कच्चे मकान में सातवी वार हमला कर घर में तोड़फोड़ कर घर को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा गौशाला में भी तोड़फोड़ की।

अमानवीयता की पराकाष्ठा : गोविंदा कॉलरी में गाय के साथ क्रूरता

क्षेत्र में भारी आक्रोश, अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग

कोतमा नवभारत 11 मई। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक हृदयविदारक घटना कोतमा क्षेत्र के गोविंदा कॉलरी (वार्ड क्रमांक 12 कोतमा) से सामने आई है। यहां एक बेजुबान गाय के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई अमानवीय क्रूरता ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 12 स्थित मंदिर मार्ग के समीप एक गाय लहूलुहान और दर्द से कराहती हुई मिली। स्थानीय लोगों ने जब गौर से देखा तो पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाय के मलमूत्र मार्ग में लोहे की एक नुकीली रॉड डाल दी थी। इस दर्दनाक दृश्य को देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अर्पण सिंह और स्थानीय निवासियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल गौमाता को राहत पहुंचाने की कोशिश की।

नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का बढ़ता प्रभाव

वार्डवासियों ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह किसी सामान्य अपराधी का काम नहीं, बल्कि एक विकृत और खूंखार मानसिकता का परिचायक है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में इन दिनों असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों ने आशंका जताई यदि ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में ये छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं।

पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

घटना के विरोध में पार्षद प्रतिनिधि अर्पण सिंह, अवनीश पाण्डे एवं बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने कोतमा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हो तथा क्षेत्र में बढ़ रही नशाखोरी पर तत्काल अंकुश लगाया जाए।

अधिकारियों का बयान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल मरावी ने बताया कि पार्षद प्रतिनिधि और नागरिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हमने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल

करपा में सूत कताई एवं बुनाई प्रशिक्षण का शुभारंभ

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अनूपपुर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के जय नारी संकुल संगठन, करपा में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं को सूत कताई एवं बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को खादी उद्योग से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत करपा के सरपंच हीरा सिंह, ग्रामोद्योग प्रबंधक सत्यसागर, समन्वयक श्री शिवकांत त्रिपाठी, सहायक विकासखंड प्रबंधक पुष्पराजगढ़ संदीप शर्मा, सीसीएफ करपा की अध्यक्ष मोहवती सहित बड़ी संख्या में संकुल की महिलाएं उपस्थित रहीं।

महिलाओं को हर संभव सहयोग दिया जाएगा : सिंह

इस अवसर पर सरपंच हीरा सिंह ने महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने कौशल का उपयोग कर समाज में सशक्त पहचान बना सकें।

ग्रामोद्योग प्रबंधक सत्यसागर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, वहीं समन्वयक शिवकांत त्रिपाठी ने खादी के महत्व और वर्तमान समय में इसकी बढ़ती मांग पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

देवी रथ काली माता मंदिर में हरि नाम संकीर्तन

जबलपुर। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल जबालीपुरम के तत्वावधान में ज्येष्ठमास पावन अवसर पर फूटाताल स्थित देवीरथ काली माता मंदिर में भव्य हरि नाम संकीर्तन किया गया। डॉ.ऋषभ मनोज गुलाबवानी के सौजन्य से संकीर्तनाचार्य पं.मनमोहन दुबे के सानिध्य में प्रात:भव्य हरिनाम संकीर्तन सुमधुर धुन नृत्य की भव्यता,हर्षोल्लास के साथ मंगलआरती कर संपन्न हुआ। संयोजक देवेन्द्र नेमा ने बताया कि हरिनाम संकीर्तन दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य पं.देवेंद्र त्रिपाठी,प्रभाकर चतुर्वेदी,मुकेश राठौर, सत्यप्रकाश नामदेव के एल दीक्षित, सुरेन्द्र गिरी, प्रकाश गुलाबवानी, बालकिशन नामदेव, देवेंद्र नेमा आदि उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा रद्द कर आरोपियों को किया बरी

हत्या या हादसा है पुलिस जांच में साबित नहीं कर पायी

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा काट रहे दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिला अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए आधार सिंह और पूरन सिंह को सभी आरोपों से बरी करने के आदेश दिए।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि बृजेश सिंह की मौत एक सुनियोजित हत्या थी। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों से यह भी संभव है कि घटना एक सड़क दुर्घटना रही हो। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायसंगत है।

2013 में हुई थी घटना

मामला वर्ष 2013 का है। जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन दो मोटरसाइकिलों पर चार लोग घर लौट रहे थे। पहली बाइक पर आधार सिंह और पूरन सिंह सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर बृजेश सिंह और कैलाश मौजूद थे। रास्ते में पान नदी के पास खड़े एक ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में कैलाश घायल हो गया, जबकि बृजेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस ने अंतिम बार साथ देखे जाने के आधार पर आधार सिंह और पूरन सिंह को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज किया था। जिला अदालत ने 26 जून 2019 को सुनवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

ठोस साक्ष्यों के अभाव में दिए रिहाई के आदेश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि घटनास्थल, वाहन जांच और गवाहों के बयान अभियोजन की कहानी को पूरी तरह समर्थन नहीं देते। कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए गए। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोष तभी सिद्ध माना जाता है जब आरोप संदेह से परे प्रमाणित हों। पर्याप्त और ठोस साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी किया जाता है।

एक नजर में

पुष्पेंद्र नामदेव को राज्यपाल ने किया सम्मानित

अनूपपुर नवभारत। समाजसेवा, रक्तदान और मानवता की सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर अनूपपुर के सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र नामदेव को विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी मध्यप्रदेश राज्य शाखा भोपाल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। पुष्पेंद्र नामदेव ह्यूमैनिटी केयर फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ सोसायटी के संचालक हैं और लंबे समय से जरूरतमंदों की सहायता, रक्तदान जागरूकता, गरीब एवं बेसहारा लोगों की मदद सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संस्था समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर, मानव सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती रही है।

संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा कल से

जमुना कोतमा नवभारत। जिले के बदरा-जमुना क्षेत्र में आगामी दिनों में भक्ति, आस्था और आध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 7, भालूमाड़ा थाना के पास पसान स्थित पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा एवं सीता मिश्रा के निवास पर 13 से 20 मई तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन विख्यात कथावाचक आचार्य पं. धर्मेन्द्र अवस्थी द्वारा किया जाएगा, जो अपने मधुर एवं ओजस्वी प्रवचनों से श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन भजन, कीर्तन एवं धार्मिक प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहेगा। आयोजन समिति से जुड़े पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की भावना से किया जा रहा है।

नर्मदा प्रदूषण मुक्त करने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर, नवभारत। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मां नर्मदा के उद्गम स्थली अमरकंटक को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म और मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने अपर कलेक्टर दिलीप पांडेय को ज्ञापन सौंप नर्मदा के अस्तित्व को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी और विधायक फुदेलाल सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि नर्मदा नदी में गंदे नालों का पानी, कचरा और डिटर्जेंट लगातार मिल रहा है। इससे न केवल नदी का पानी दूषित हो रहा है, बल्कि यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। जिसमे 3 प्रमुख मांगें में नर्मदा घाटों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं, जिनमें यह स्पष्ट हो कि साबुन या सर्फ का उपयोग करने पर 2000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। घरों और दुकानों के ड्रेनेज के पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं और अमरकंटक में तत्काल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो।

कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर लगी रोक, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय परिसर में जुलूस, आमसभा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से कार्यालयीन व न्यायालयीन कार्यों में बाधा की संभावना को देखते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 के तहत हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

आदेशों में कहा गया हैं कि कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर परिसर को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर पाएगा। यह प्रतिबंध परिसर और उससे लगे 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगा।

ज्ञापन सौंपने के लिए भी नियम तय

ज्ञापन सौंपने के लिए भी नियम तय किए गए हैं। व्यक्ति या संगठन कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर ही शांतिपूर्ण ढंग से और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपना होगा। किसी भी दल, संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति को जुलूस, आमसभा, नारेबाजी या ज्ञापन सौंपने से कम से कम तीन दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से लिखित अनुमति लेनी होगी।

केवई नदी बचाने निर्णायक जंग की तैयारी कल चंगेरी में किया जाएगा जल सत्याग्रह

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। कोतमा क्षेत्र की जीवनदायिनी मानी जाने वाली केवई नदी को बचाने की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। नदी में हो रहे कथित अवैध उत्खनन और प्रस्तावित बैराज निर्माण के विरोध में 13 मई को चंगेरी में जल सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन को लेकर क्षेत्र के युवाओं, समाजसेवियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवई नदी केवल जल स्त्रोत नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका का आधार है। इसके बावजूद लगातार अवैध उत्खनन और बिना पारदर्शिता के बैराज निर्माण की प्रक्रिया से नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और संबंधित कंपनी की मिलीभगत से नदी और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

जनगणना कार्य में लापरवाही पर तीन शिक्षकों की रोकी वेतनवृद्धि

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। जिले के कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कोतमा तहसील के तीन शिक्षकों की आगामी एक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश सोमवार को दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मकान का सही एवं पूर्ण रूप से सूचीकरण किया जाए तथा सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जाए। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने सोमवार को तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी कोतमा (ग्रामीण) के प्रतिवेदन पर जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन शिक्षकों की वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।

सेवानिवृत्त ग्रंथपाल को पेंशन भुगतान का दिया आदेश

मप्र उच्च न्यायालय का फैसला

अनूपपुर, नवभारत 11 मई। जिला मुख्यालय की नगर पालिका से सेवानिवृत ग्रंथपाल रामनारायण पांडेय को उच्च न्यायालय जबलपुर ने सोमवार को अपने फैसले में प्रथम नियुक्ति तिथि को जोड़कर पेंशन भुगतान का आदेश दिया हैं।

अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय एवं अनुभव सिंघल ने बताया कि ग्रंथपाल रामनारायण पांडेय पांडे वर्ष 1988 में नगर पालिका अनूपपुर में नियुक्त हुए थे, वर्ष 2002 में नगर पालिका द्वारा मप्र शासन के आदेशानुसार नियमित किया गया था, सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन का लाभ नियमित दिनांक से दिया जा रहा था, जबकि पूर्व में चौदह वर्ष की सेवावधि को पेंशन के लिए समायोजित नहीं किया गया था,

आवेदन और अनुरोध के बाद जब नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई।

रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित पूर्व आदेश को आधार बनाकर पुन: रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय एवं अनुभव सिंघल द्वारा न्यायालय के समक्ष पक्षा रखा, जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने सोमवार को विस्तृत आदेश पारित करते हुए रामनारायण पांडे को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि को जोड़कर पेंशन भुगतान का आदेश दिया हैं।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद् कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

Office: Municipal Council Kotma Dt-Anuupur (M.P.) Email-cmokotma@mpurban.gov.in (07658)233260

क्रमांक-1262/न.पा. /राजस्व/ नि.सू./2025-26 — **ई-निविदा सूचना** — कोतमा, दिनांक 08/05/2026

निम्नानुसार मदों की वसूली हेतु इच्छुक ठेकेदारो/व्यक्तियों से ई-नीलामी हेतु उच्चतम दरें आमंत्रित है। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https://mptenders.gov.in. पर देख जा सकता है।

क्रं.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	दुकान क्रमांक / श्रेणी	आरक्षित मूल्य	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं एव धरोहर राशि	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_485379_3 08/05/2026	वित्त वर्ष 2026-27 (जून 26 से मार्च 2027 तक) बाजार बैठकी शुल्क ठेका वसूली	457300.00	2000.00 45730.00	25/05/2026
2.	2026_UAD_485380_3 08/05/2026	वित्त वर्ष 2026-27 (जून 26 से मार्च 2027 तक) स्टैण्ड शुल्क ठेका वसूली	317000.00	2000.00 31700.00	25/05/2026

नोट:- ई-नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in. की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद कोतमा जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय नगरपालिका परिषद् बिजुरी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

Phone / Fax No. : 07658-264242, Email : cmobijuri@mpurban.gov.in,

क्रं./2218 /न.पा./लो.नि./2026 — **ई - निविदा आमंत्रण सूचना** — बिजुरी, दिनांक :- 07/05/2026

एतद् द्वारा पंजीकृत फर्म/ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य हेतु निकाय द्वारा आयटम रेट आधारित ई-निविदाएं आमंत्रित की गई है।

क्रं.	ई-निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7
01.	2026_UAD_ 505369_1	Inviting Rate of Contract for Flex Materials for various events and programs at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	40.00 लाख	30000.00	5000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
02.	2026_UAD_ 505292_1	Inviting Rate of Contractfor Construction Related Maintenance Materials at Municipal Council Bijuri for Year2026-27	90.00 लाख	67500.00	10000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
03.	2026_UAD_ 505239_1	Inviting Rate of Contract for Cleaning Materials at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	50.00 लाख	37500.00	5000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
04.	2026_UAD_ 505295_1	Inviting Rate of Contract for Electrical Materials for all Electrical Maintenance workat Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	90.00 लाख	67500.00	10000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
05.	2026_UAD_ 505122_1	Inviting Rate of Contractfor Handpump Materials for all Handpump Maintenance work at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	50.00 लाख	37500.00	5000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
06.	2026_UAD_ 505289_1	Inviting Rate of Contractfor Motor Pumps repair Works for all types of motor pumps available at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	40.00 लाख	30000.00	5000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
07.	2026_UAD_ 505293_1	Inviting Rate of Contractfor Supply of Varioustypes of motor pumps for water supply work at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	50.00 लाख	37500.00	10000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
08.	2026_UAD_ 505294_1	Inviting Rate of Contract for Tent Materials at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	40.00 लाख	30000.00	5000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
09.	2026_UAD_ 505105_1	Inviting Rate of Contractfor Water Purification Material at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	90.00 लाख	67500.00	10000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)
10.	2026_UAD_ 505113_1	Inviting Rate of Contractfor Water Supply Materials for all Water Supply Maintenance work at Municipal Council Bijuri for Year 2026-27	90.00 लाख	67500.00	10000.00	08-06-2026 (17:30 HRS)

01. निविदा प्रस्तुत करने संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट (https://mptenders.gov.in) में नि:शुल्क देखी व प्राप्त की जा सकती है।
02. बिड प्रस्तुतिकरण (ऑनलाईन) तिथि एवं अन्य जानकारी BID DATA SHEET व "KEY DATES" में देखी जा सकती है।
03. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन केवल वेबसाईट में किया जावेगा, समाचार पत्र में नहीं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् बिजुरी
जिला - अनूपपुर (म.प्र.)